



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 119/2021 निर्णय दिनांक 12.03.2022

सं.प.नं.12110/21/07/क.व.स.दे.ली

बनाम ता.दुलास.सो.मोहन जोशी
[विस्तृत विवरण पुरत पर अंकित है।]

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
	कालिया	2073-76	688	226	बि.नं. 10	2000	1-99	हेक्टर			

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है -

श्री भू.अ.निरीक्षक कालिया को 1800/-रु.की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया

अध्यक्ष

तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला - भीलवाड़ा



दिनांक 12/03/2022

क्रमांक / रीडर / 2022/ 241

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

- प्रार्थी —
- ① सत्यनारायण स्तोत्रकवच लेली
 - ② भद्रलाल स्तोत्रकवच लेली
 - ③ गोपाल स्तोत्रकवच लेली
 - ④ मुरलीधर स्तोत्रकवच लेली
 - ⑤ गोविन्द स्तोत्रकवच लेली
 - ⑥ भवानीशंकर स्तोत्रकवच लेली
 - ⑦ दिलीप स्तोत्रकवच लेली
 - ⑧ नारायण स्तोत्रकवच लेली


जिवाजी कालिदास

- प्रार्थी —
- ① लखुलाल स्तोत्रकवच लेली
 - ② हनुमंतसिंह स्तोत्रकवच लेली राजपुर
 - ③ जगदीश स्तोत्रकवच लेली राजपुर
 - ④ हरिसिंह स्तोत्रकवच लेली राजपुर
 - ⑤ विद्यनसिंह स्तोत्रकवच लेली राजपुर
 - ⑥ झानसिंह स्तोत्रकवच लेली राजपुर
 - ⑦ अमरसिंह स्तोत्रकवच लेली राजपुर
 - ⑧ शंकर स्तोत्रकवच लेली राजपुर


जिवाजी कालिदास


अध्यक्ष

सालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाडा


सचिव

सालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द, जिला भीलवाडा


सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा